प्रेस नोट दिनांक-10.04.2025

<u>थाना चकिया जनपद चंदौली</u>

◆थाना चकिया व स्वाट/सर्विलांस पुलिस टीम की संयुक्त कार्यवाही में 01 ट्रक में पंजाब राज्य से बिहार राज्य हेतु परिवहन की जा अवैध अंग्रेजी शराब के साथ 01 अंतर्राज्यीय तस्कर को किया गया गिरफ्तार

◆कब्जे से कुल 653 पेटी (5875.920 लीटर) अवैध अंग्रेजी शराब बरामद (अनुमानित कीमत 50 लाख रूपये)

चंदौली- श्री पीयूष मोर्डिया अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी, श्री मोहित गुप्ता पुलिस महानिरीक्षक परिक्षेत्र वाराणसी के निर्देशन में श्री आदित्य लांग्हे पुलिस अधीक्षक चन्दौली द्वारा शराब/मादक तस्करी के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (आप0) दिगम्बर कुशवाहा व क्षेत्राधिकारी चकिया राजीव सिसोदिया के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष चकिया अतुल कुमार व प्रभारी स्वाट/सर्विलांस आशीष मिश्रा के कुशल नेतृत्व में थाना चकिया व स्वाट/सर्विलांस पुलिस टीम की संयुक्त कार्यवाही में 01 ट्रक में पंजाब राज्य से बिहार राज्य हेतु परिवहन की जा रही कुल 653 पेटी (5875.920 लीटर) अवैध अंग्रेजी शराब के साथ 01 अंतर्राज्यीय तस्कर को किया गया गिरफ्तार। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना चकिया पर मु.अ.सं. 58/2025 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम व 318(4) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पुलिस कार्यवाही

दिनांक 09.04.2025 को थाना चकिया व स्वाट/सर्विलांस पुलिस टीम की संयुक्त चेकिंग के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक तिरपाल से ढके एक ट्रक में कुछ संदिग्ध वस्तु ले जाया जा रहा है। मुखबीर की सूचना के आधार पर पुलिस टीम के साथ मुहम्दाबाद पुलिया से गरला तिराहा पहुंचकर वाहनों की चेकिंग के दौरान एक ट्रक वाहन मुरारपुर तिराहे की तरफ से आता दिखाई दिया ट्रक के पास आने पर पुलिस टीम द्वारा वाहन उपरोक्त को रोकने के लिए अपने वाहन को सड़क पर खड़ा कर रास्ता अवरुद्ध कर रुकने का इशारा किया गया तो ट्रक चालक द्वारा गाड़ी खड़ी कर दिया। चालक उपरोक्त से ट्रक न0 JH10AG6629 में लदे माल

के सम्बन्ध में कागजात तलब किया गया तो चालक द्वारा माल से सम्बन्धित कागजात प्रस्तुत किया गया। जब पुलिस टीम द्वारा गाड़ी के पीछे का डाला व तिरपाल को चालक उपरोक्त से खोलवाकर देखा गया तो उसमे शराब की पेटी पायी गयी व पेटियों पर मैकडोवेल, इम्पीरियल ब्लू लिखा पाया गया पेटी को खोलवाकर देखा गया तो इम्पीरियल ब्लू 750 ML, व 180 ML RESERVE GRAIN WHISKY FOR SALE IN PUNJAB ONLY पाया गया तथा Mc Dowells No 1 750 ML, FOR SALE IN PUNJAB ONLY पाया गया। ट्रक में बैठा चालक मय मालशुदा वाहन को पुलिस कब्जे में लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति की पहचान सतनाम सिंह पुत्र जसबीर सिंह निवासी बालाचक थाना व जनपद तरन तारन पंजाब उम्र 23 वर्ष के रुप में हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना चकिया पर मु.अ.सं. 58/2025 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम व 318(4) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ विवरण-
गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि पंजाब राज्य से सस्ते दाम पर शराब को खरीदकर बिहार ले जाकर उँचे दामों मे बेचते है क्योकि बिहार मे शराब मे बंदी के कारण शराब की अच्छी कीमत मिल जाती है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का विवरण-
1.सतनाम सिंह पुत्र जसवीर सिंह निवासी ग्राम बालाचक थाना व जनपद तरन तारन पंजाब

पंजीकृत अभियोग-
1.मु0अ0सं0 58/2025 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम व 318(4) बीएनएस थाना चकिया जनपद चन्दौली

बरामदगी का विवरण-
1.653 पेटी (5875.920 ली0) अवैध गैर प्रान्त की अंग्रेजी शराब
2.एक ट्रक नं. JH10AG6629
3.दो एंड्रायड मोबाइल

गिरफ्तारी करने वाली संयुक्त टीम का विवरणः –

1.थानाध्यक्ष अतुल कुमार थाना चकिया जनपद चन्दौली

2.प्रभारी स्वाट/सर्विलांस सेल आशीष मिश्रा जनपद चन्दौली

3.उ0नि0 अनिल कुमार पाण्डेय थाना चकिया जनपद चन्दौली

4.उ0नि0 अभिनव कुमार गुप्ता थाना चकिया जनपद चन्दौली

5.हे.का. अनुज कुमार यादव थाना चकिया जनपद चन्दौली

6.हे.का. रामतीर्थ थाना चकिया जनपद चन्दौली

7.हे.का. राकेश यादव थाना चकिया जनपद चन्दौली

8.का0 चन्द्रशेखर यादव थाना चकिया जनपद चन्दौली

9.का0 नीरज मिश्रा स्वाट टीम चन्दौली

10.का0 अजीत कुमार सिंह स्वाट टीम चन्दौली